संख्या-119/2016/248/22-2-2016-17(43)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजाराम पुत्र श्री भवानी, निवासी-जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजाराम पुत्र श्री भवानी, ग्राम गहरा मजरा बजरखा, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा ट्रस्ट प्रापर्टी के मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 23-06-1990 को 23 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, डबल बैरल बन्दूक, लाइसेन्सी बन्दूक व देशी तमन्चे से 05 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 में भा0द0वि0 की धारा-148,436,449,201,302/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खीरी द्वारा दिनांक 19-09-1995 को दोषमुक्त किया गया। क्रिमि0 अपील संख्या-643/95 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ अपने निर्णय दिनांक 28-09-1997 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 23 सहअभियुक्त है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2015 तक 09 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार एवं 12 वर्ष 06 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति एवं समाज दोनों को प्रभावित करता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता अथवा बन्दी को भी खतरा हो सकता है। बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, खीरी ने पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राजाराम (बन्दी संख्या-42431) पुत्र श्री भवानी, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-119/2016/248/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in